

# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, निम्बाहेड़ा, जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

प्रकरण संख्या— 28/2019

निर्णय दिनांक – 10.04.2019

मधुसुदन पुत्र रतनलाल जाति माली आयु वयस्क निवासी निम्बाहेड़ा तह0 निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़ राज0 ।

— प्रार्थी

// बनाम //

1. प्रभुलाल पिता सुखलाल जाति धाकड आयु वयस्क निवासी सरसी तह0 निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़ राज0 ।
2. बालुलाल पिता सुखलाल जाति धाकड आयु वयस्क निवासी सरसी तह0 निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़ राज0 ।
3. कन्हैयालाल पिता सुखलाल जाति धाकड आयु वयस्क निवासी सरसी तह0 निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़ राज0 ।

— विपक्षीगण

## प्रार्थना पत्र तहत धारा 128 रा0 ले0रे0एक्ट आदेश

पत्रावली प्रस्तुत हुई। प्रार्थी ने अपने खातेदारी की आराजीयात वाके मौजा सरसी पटवार हल्का सरसी तह0 निम्बाहेड़ा की खाता संख्या 291 की आराजी नं0 1324 रकबा 0.6500 हेक्टेयर भूमि की पत्थरगढ़ी कराने का निवेदन किया है। विपक्षी प्रार्थी की भूमि के पडोसी हैं। प्रार्थी राजस्व रेकार्ड में प्रश्नगत भूमि का खातेदार काश्तकार है जिसे अपनी खातेदारी आराजीयात की पत्थरगढ़ी कराने का कानूनन अधिकार प्राप्त है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार निम्बाहेड़ा को 200/— रुपये फीस पर कमिश्नर नियुक्त कर आदेश दिया जाता है कि उभय पक्ष को सूचना देते हुए, मौके पर कोई विवाद नहीं होने की स्थिति में, किसी न्यायालय का स्थगन आदेश नहीं होने पर प्रार्थी की खातेदारी कि वाके मौजा सरसी पटवार हल्का सरसी तह0 निम्बाहेड़ा की खाता संख्या 291 की आराजी नं0 1324 रकबा 0.6500 हेक्टेयर भूमि की किसी भी पक्ष के कब्जे में दखल दिये बगैर पत्थरगढ़ी करे। पत्थरगढ़ी किये जाने की पालना 15 दिवस में पेश करें।

आज दिनांक 10.04.2019 को सरे इजलास सुनाया गया।

(पंकज शर्मा)  
उपखण्ड अधिकारी  
निम्बाहेड़ा

